न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

कैम्प – कोट

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. महेन्द्रसिंह पुत्र बजरंगसिंह		1. गोविन्दराम पुत्र गोपालराम मेघवंशी
2. महिपालसिंह पुत्र बजरंगसिंह राजपुत सा. मुवाना तह. नांवा		2. करणाराम पुत्र आसुराम मेघवंशी 3. पुसाराम पुत्र आसूराम मेघवंशी सा. मुवाना तह. नांवा

दावा बाबत :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए

उपस्थित :– प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वकुलाय

मुकदमां नम्बर :– 48/2015

निर्णय दिनांक :– 14.7.17

निर्णय

ग्राम मुवाना के खसरा नम्बर 859, 861, 862, 867, 869, 870, 872 कुल रकबा 15.79 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं मौके पर भूमि का भौतिक रूप से बंटवारा कर अलग अलग काश्त करते हैं जिसके अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 872 रकबा 7.09 हैक्टयर में से 3.24 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में स्थित हैं प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 872 में सबसे दक्षिणी तरफ स्थित हैं प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 871 रकबा 3.26 हैक्टयर स्थित हैं जो अप्रार्थी 1 से 3 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 873 रकबा 0.93 हैक्टयर भमि मुलाराम पुत्र गणेशराम जाति कुम्हार निवासी मुआना की खातेदारी में हैं जिन्होने वर्ष 2003 में अपनी उपरोक्त आराजीयत में से बैचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किया गया तब से उक्त आराजीय भूमि पर अप्रार्थी 2, 3 का कब्जा चला आ रहा हैं। खसरा नम्बर 871, 873 के पश्चिमी तरफ ग्राम मुआणा से लक्ष्मीपुरा जाने वाला आम रास्ता हैं तथा अप्रार्थी 1 से 3 के पूर्वी तरफ प्रार्थीगण की कब्जे सुदा खातेदारी अधिकारो की भूमि खसरा नम्बर 872 आई हुई हैं प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता मुआना से लक्ष्मीपुरा जाने वाले आम रास्ते से पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 871 की दक्षिणी सीव से सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 873 की पूर्वी सीव के पास से निकलकर खसरा नम्बर 872 तक प्रार्थीगण की कब्जे सुद्वा अधिकारो की भूमि आता जाता रहा हैं जिसका उपयोग उपभोग पूर्व खातेदार व उक्त के बाद प्रार्थीगण करते हैं चले आ रहे हैं। दिनांक 18.12.92 को प्रार्थीगण व उनके पिता स्व. श्री बजरंगसिंह ने अप्रार्थी 1 गोविन्दराम के पिता गोपाल उर्फ गोपीराम रास्ते के रूप में तत्कालनी बाजार भाव से खसरा नम्बर 871 की दक्षिणी सींव के पास 9 फिट

14/7/17
उपखण्ड अधिकारी

चौडाई व कीबन 441 फिट लम्बाई का रास्ता क्रय कर एक इकरारनामा अप्रार्थी सं.1 के पिता गोपाल उर्फ गोपीराम से 5 रूपये के मुद्राक पर लिखापढ़ी करवाई थी व इसी अनुसार खसरा नम्बर 873 के तत्कालीन खातेदार मुलाराम पुत्र गणेशराम से भी उक्त रास्ते के रूप 9 फिट चौडाई व 85 फिट लम्बाई का रास्ता लेकर 5 रूपये में मुद्राक पर लिखापढ़ी करवाई गई व मौके पर रास्ता कायम किया गया था। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 871 रकबा 3.26 हैक्टयर में से दक्षिणी सीव के पास पास 441 फिट लम्बाई व 9 फिट चौड़ाई का रास्ता व अप्रार्थी 2 , 3 की कब्जे सुद्धा खातेदारी की एवं खसरा नम्बर 873 रकबा 0.93 हैक्टयर में से पूर्वी तरफ की माठ के पास 100 फिट लम्बाई व 9 फिट चौड़ई का रास्ता माफिक नजरी नक्शा अनुसार दिलाऐ जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 2 , 3 ने जवाब पेश नहीं कर इस सम्बन्ध में प्रकरण सिविल न्यायालय में विवाराधीन होकर .06.2015 को खारिज होना बताया हैं जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होना बाताकर ऑडर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किऐ जाने की इस्तदुआ की है, अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऑडर 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया हैं। अप्रार्थी 1 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 2069–72 के अनुसार खसरा नम्बर 859, 861, 862, 867, 869, 870, 872 कुल रकबा 15.79 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि भंवरसिंह, अमरसिह, भीवसिंह पि. मूलसिंह हिस्सा 3.80 हैक्टयर, भंवरसिंह, बलवीरसिंह पि. रिछपालसिंह रकबा 2.25 हैक्टयर , रिछपालसिंह पुत्र सुगनसिंह , रकबा 27–7 बीघा, भंवरसिंह, बलवीरसिंह पित रिछपालसिंह रकबा 2.40 हैक्टयर, बजरंगसिंह पुत्र मूलसिंह , महेन्द्रसिंह, महिपालसिंह पि. बजरंगसिंह रकबा 20 बीघा भूमि संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड हैं उक्त सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा नही हो रखा हैं प्रार्थीगण ने उक्त सम्पूर्ण भमि में अपने हक हिस्से की खसरा नम्बर 872 रकबा 7.09 हैक्टयर भूमि 3.24 हैक्टयर भूमि सबसे दक्षिणी तरफ हैं कब्जा काश्त हैं जिसमें रास्ते की मांग की है, खसरा नम्बर 872 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी में जिसमें प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य खातेदार काश्तकार हैं जो प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य हैं सिविल न्यायालय के प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 871 के पश्चिम में स्थित कटाणी रास्ते से खसरा न्बर 871 की दक्षिणी सींव के पास – पास खसरा नम्बर 872 जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में हैं तक रास्ता मौके पर चालू हैं इससे आगे प्रार्थी ने खसरा नम्बर 872 में सबसे दक्षिणी तरफ अपने हक हिस्से की 3.24 हैक्टयर तक खसरा नम्बर 873 जो खसरा नम्बर 871 के दक्षिणी तरफ व खसरा नम्बर 872 के पश्चिमी तरफ से लगता हुआ हैं की पूर्वी सीव के अन्दर अन्दर मांग की हैं जबकि खसरा नम्बर 872 की पश्चिमी सींव तक केवल खसरा नम्बर 871 की दक्षिणी सींव पर पूर्वी – पश्चिमी तक लग रहा हैं उसके बाद खसरा नम्बर 872 की संयुक्त खातेदारी में से अपने भौतिक रूप से हो रखे बंटवारे की भूमि तक आना – जाना कर सकते हैं प्रार्थी ने इकरार नामें के

आधार पर रास्ता खरीद किया जाना बताया हैं जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता घोषित नही किया जा सकता हैं इस अधिनियम के तहत प्रावधान जो प्रतिपादित किऐ गये हैं वो यह हैं कि जिस भूमि के चारो तरफ कोई रास्ता नहीं लगता हो, या रास्ते का कोई विकल्प भी मौजूद नहीं हो व रास्ता दिया जाना अति आवश्यक हो, तो ही सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते के जहां से कम से कम कृषि भूमि रास्ते में लाऐ वहां रास्ता दिया जावे।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 872 के पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 871 की दक्षिणी सींव के पास – पास रास्ता मौके पर कायम हो रखा हैं लेकिन रिकार्ड में रास्ता नहीं होकर अप्रार्थी 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थीगण खसरा नम्बर 872 रकबा 7.09 हैक्टयर में 3.24 हैक्टयर भूमि दक्षिणी तरफ आयी हुई हैं खसरा नम्बर 871 में से खसरा नम्बर 872 की पश्चिमी सींव तक रास्ता मौके पर कायम हैं जिसके आगे प्रार्थीगण के हक हिस्से तक जाने के लिऐ अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अपने हिस्से तक आ जा सकते हैं खसरा नम्बर 873 में से प्रार्थीगण के हिस्से तक अपने के लिऐ ओर रास्ता दिऐ जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रतिपादित नियमों के तहत किसी खसरा नम्बर तक ही रास्ता दिया जा सकता हैं संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार के मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे में उसके हक हिस्से तक रास्ता दिया जाने का प्रावधान नहीं हैं। खसरा नम्बर 872 जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं उसके चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता या रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं जिससे खसरा नम्बर 872 के पश्चिमी तरफ स्थित खसरा नम्बर 871 की दक्षिणी सींव – सींव के अन्दर अन्दर पूर्वी से पश्चिमी 134.5 मीटर लम्बाई में व 2.75 मीटर चौडाई में रास्ता जो मौके पर रास्ते के रूप में कायम हैं रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मुवाना के खसरा नम्बर 871 की दक्षिणी सींव – सींव 134.5 मीटर लम्बाई व 2.75 मीटर चौड़ाई पूर्व से पश्चिम भूमि खातेदारो की खातेदारी में से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता घोषित किया जाता हैं। रास्ते में गई भूमि क बदले वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना करते हुऐ दो गुणा राशि वसूल कर खसरा नम्बर 871 के वर्तमान खातेदारो को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान किया जावे। खसरा नम्बर 871 के खातेदार सहत हो या मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं तो उन से सहमति पत्र लिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.7.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी
नावां